



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-30-11-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त रवि गौड़ उर्फ नेपाली को चोरी के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि (06 वर्ष, 03 माह, 10 दिन) तथा कुल 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0239/2024, धारा-41, 411, 413, 414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रवि गौड़ उर्फ नेपाली पुत्र गणेश प्रसाद उर्फ गुल्ली निवासी- जे17/189 शंकर तालाब शैलपुत्री रोड, भीम बाबा मठ के बगल में, थाना-जैतपुरा, वाराणसी को थाना-जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 30-11-2024 को मा0 न्यायालय ACC-04 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त रवि गौड़ उर्फ नेपाली उपरोक्त को धारा-41, 411, 413, 414 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि (06 वर्ष, 03 माह, 10 दिन) के कारावास व कुल 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी